

-: विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम) :-

नगरपालिक निगम चिरमिरी द्वारा निम्नानुसार वर्णित कार्य हेतु छ०ग०ल०नि०वि०विभाग (एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत) 'द' या अपर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र 'अ' में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी (एकीकृत दर अनुसूची जारी दि० 01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधित) से प्रतिशत दर पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा त्रि-लिफाफा पद्धति से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
2. निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि एवं समय

- 18.09.2025 सायं 5:30 बजे
 - 19.09.2025 सायं 11:00 बजे

क्र.	कार्य विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (FDR/DD)	समयावधि
			निविदा प्रपत्र का मूल्य (D.D/M.R.)	
1	वार्ड क्र० 19, महात्मा गांधी स्टेडियम से धक्का दफाई एवं छन्ना दफाई, छोटा बाजार चिरमिरी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य (महापौर/पार्षद निधि)	2.00	2000/- 300/-	15 दिवस
2	वार्ड क्र० 20, कच्छी स्कूल से दलगंजन दफाई, छोटा बाजार चिरमिरी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य (महापौर/पार्षद निधि)	2.00	2000/- 300/-	15 दिवस
3	वार्ड क्र० 21, पानी टंकी से कच्छी स्कूल, मस्जिद तक तथा बहेरा दफाई, छोटा बाजार चिरमिरी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य (महापौर/पार्षद निधि)	2.00	2000/- 300/-	15 दिवस
4	वार्ड क्र० 22, पानी टंकी से कपूर सिंह दफाई तक, छोटा बाजार चिरमिरी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य (महापौर/पार्षद निधि)	2.00	2000/- 300/-	15 दिवस
5	वार्ड क्र० 23, पानी टंकी से माईनर्स क्वार्टर, छोटा बाजार चिरमिरी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य (महापौर/पार्षद निधि)	2.00	2000/- 300/-	15 दिवस

- नोट: (1) निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें निविदा दिनांक से एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकेंगी।
 (2) निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in अथवा नगर निगम चिरमिरी की वेबसाईट www.nagarnigamchirmiri.com से डाउनलोड किया जाकर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद के साथ संबंधित कार्य का नाम व पूर्ण विवरण भरकर वांछित दस्तावेजों के साथ भेजना होगा।
 (3) निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा, पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा :-

लिफाफा "अ"

I) विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किया गया व पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र।

लिफाफा "ब"

- छ०ग० ल०नि०वि० एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- यदि फर्म है, तो "पार्टनरशिप-डीड" प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति,
- पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- माल एवं सेवाकर (GST) में पंजीयन की प्रति एवं पिछले 03 माह का चुकता प्रमाण पत्र (3B) की प्रमाणित प्रति।
- पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- निर्धारित प्रारूप में राशि रू० 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की छायाप्रति।
- निर्धारित राशि का एफ०डी०आर०/डी.डी. जो कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं दरदाता के संयुक्त नाम से जारी किया गया हो।
- निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद जो कि आयुक्त, न०पा०नि० चिरमिरी के नाम देय हो।

लिफाफा "स"

I) उपरोक्त दोनों लिफाफे "अ" एवं "ब" को भरकर मुहरबंद किया जाना है, जिस पर नि०आ०सू० क्र०, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

- अमानत राशि एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० रूप में ही स्वीकार की जावेगी, जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् का बनाया गया हो एवं जिसकी अवधि कम से कम 01 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- एक निविदा हेतु एक शपथ पत्र राशि रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर नोटरी करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित कार्य के क्रमांक का उल्लेख करना होगा तथा सभी कार्यों के लिफाफे में उक्त शपथ पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- लिफाफा-"ब" में वांछित समस्त दस्तावेज पूर्ण व वैध पाए जाने के पश्चात् ही लिफाफा "अ" (निविदा दर) खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

सहायक अभियंता
 नगरपालिक निगम चिरमिरी
 जिला-एम.सी.बी. (छ०ग०)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. निविदा भरने हेतु इच्छुक निविदाकारों को विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in अथवा नगर निगम चिरमिरी की वेबसाईट www.nagarnigamchirmiri.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, राशि व निविदा दर आदि पूर्ण विवरण भरकर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद के साथ अमानत राशि का एफडीआर/डी.डी. तथा समस्त वांछित दस्तावेज निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा, पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा :-

लिफाफा "अ"

अ) विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किया गया व पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र।

लिफाफा "ब"

- I) छ0ग0 लो0नि0वि0 एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- II) यदि फर्म है, तो "पार्टनरशिप-डीड" प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति,
- III) पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- IV) माल एवं सेवाकर (GST) में पंजीयन की प्रति एवं पिछले 03 माह का चुकता प्रमाण पत्र (3B) की प्रमाणित प्रति।
- V) पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- VI) निर्धारित प्रारूप में राशि रू0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की छायाप्रति।
- VII) निर्धारित राशि का एफ0डी0आर0/डी.डी. जो कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं दरदाता के संयुक्त नाम से जारी किया गया हो।
- VIII) निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद जो कि आयुक्त, न0पा0नि0 चिरमिरी के नाम देय हो।

लिफाफा "स"

अ) उपरोक्त दोनों लिफाफे "अ" एवं "ब" को भरकर मुहरबंद किया जाना है।

(निविदा प्रपत्र में दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा काटछांट या अपलेखन मान्य नहीं होगी।)

3. निविदाकार को मूल (Original) लेटर-पैड में प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा, लेटर-पैड की छायाप्रति में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
4. अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय स्तर के ग्रामीण बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0/डी0डी0, आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं संबंधित फर्म के संयुक्त नाम से जारी हो एवं डी0डी0 प्रस्तुत करने की स्थिति में "आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी" के पक्ष में देय होगा।
5. अमानत राशि जो किसी अन्य कार्य के लिए कार्यालय में पूर्व से जमा हो, इस निविदा हेतु समायोजित नहीं होगी।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में नगरपालिक निगम चिरमिरी प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसके लिए कोई भी न्यायालयीन वाद मान्य नहीं होगा।
8. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिक निगम चिरमिरी प्रशासन को होगा। इसके लिए कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है।

(3)

31. सभी तरह की कौक्रीट कार्य में जीरा (6 एमएम या इससे कम) गिट्टी को प्रयोग में लाया जाना वर्जित किया जाता है। अतः उप अभियंता के निर्देशानुसार जीरा गिट्टी होने की स्थिति में गिट्टी को छानने के बाद प्रयोग में लाया जावेगा। जिन ठेकेदारों के पास यह सुविधा उपलब्ध हो वही निविदा में भाग लें ऐसी सलाह दी जाती है। ब्रिक मेशनरी (ईट से होने वाले निर्माण) के कार्य में पलाई ब्रिक्स का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
32. कार्य स्थल में कार्य प्रारंभ करने के बाद सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा। अर्थात् खुदाई के बाद गड्ढों की बेरिकेटिंग कर स्थल को सुरक्षित रखा जावे। निर्माण सामग्री को इस तरह एकत्रित करें कि आवागमन बाधित नहीं हो तथा परिवहन अवरुद्ध होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।
33. शासन से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य संशोधित कर समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि सम्पूर्ण राशि का कार्य कराया ही जावे। लागत मूल्य से कम मूल्य पर अथवा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर अनुबंध/कार्यादेश समाप्त किये जाने की स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
34. निर्माण कार्य में टेस्टिंग का कार्य किसी शासकीय /अर्द्धशासकीय या अन्य प्रतिष्ठानों से कराये जाने की स्थिति में उसमें होने वाले व्यय का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। ऐसा भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किये जाने पर उसके देयक से कटौती कर भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा।
35. ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर कार्य करते समय बोर्ड प्रदर्शित करना होगा, जिसमें कार्य का नाम, योजना, तत्समय निर्धारित मजदूरी की दरें, मानव दिवस, सामग्रियों की मात्रा तथा कार्य की लागत, कार्य का प्रारंभ दिनांक एवं कार्य की समय अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।
36. कार्यादेश खण्ड में कम या अधिक लागत का दिया जा सकता है, यह आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी/महापौर का अधिकार होगा।
37. कार्य संपादन में उक्त क्षेत्र के निवासियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए वैकल्पिक अस्थायी मार्ग, नाली आदि का कार्य ठेकेदार को स्वयं संपादित करना होगा तथा कार्यसमाप्ति के पश्चात् वैकल्पिक स्थल को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। क्षेत्र के निवासियों को असुविधा होने की स्थिति में कार्य को रात्रिकालीन कराने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था अथवा राशि निकाय द्वारा देय नहीं होगी।
38. पूर्व में जिन निविदाकारों की दर न्यूनतम हुई हैं एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अनुबंध संपादित नहीं किया गया है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही जिन निविदाकारों को कार्य प्रदाय किया गया है एवं 01 वर्ष से ज्यादा अवधि होने के पश्चात् भी लंबित हैं उन्हें भी निविदा से पृथक रखा जावेगा। यदि ऐसे निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
39. सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की स्थिति संबंधी फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्य का नाम एवं कार्यस्थल अंकित हो।
40. आहूत की गई निविदा तिथियों में किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं तो निविदा की कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में सम्पन्न किया जावेगा। इसके लिए पृथक से कोई सूचना जारी नहीं किया जावेगा।



सहायक अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-एम.सी.बी (एच.ए.ओ.)

